

सिंहस्थ : एक साथ उतरेंगे 4 हेलिकॉप्टर

सदावल में हवाई सुविधाओं का विस्तार

उज्जैन, 11 मार्च. महाकाल की नगरी उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को लेकर विकास कार्यों की रफ्तार तेज हो गई है. आगामी सिंहस्थ में देश-विदेश से आने वाले लाखों संतों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए शहर में सड़क, हेलीपैड और आवासीय व्यवस्थाओं सहित कई महत्वपूर्ण अधोसंरचना परियोजनाएं तेजी से तैयार की जा रही हैं. सदावल में जो हेलीपैड बनाया गया है यहां पर चार हेलीकॉप्टर एक साथ उतर सकेंगे.

इसी क्रम में सदावल क्षेत्र में एक आधुनिक हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है, जहां एक साथ चार हेलिकॉप्टर उतर सकेंगे. इससे



सिंहस्थ के दौरान संत-महात्माओं, विशिष्ट अतिथियों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुगम बनाने में मदद मिलेगी. हेलीपैड परिसर में सुव्यवस्थित लाउंड्रोज और एग्रोच रोड भी विकसित किए जा रहे हैं, ताकि यहां आने-जाने की व्यवस्था सुचारु और व्यवस्थित बनी रहे.

आवागमन होगा सुगम: सिंहस्थ क्षेत्र में आवागमन को

सुगम बनाने के लिए कई प्रमुख मार्गों को फोरलेन में विकसित किया जा रहा है. इनमें श्री रणजीत हनुमान मंदिर से मौजमखेड़ी मार्ग और कालभैरव से मौजमखेड़ी मार्ग विशेष रूप से शामिल हैं. इन सड़कों के तैयार होने से सिंहस्थ के दौरान श्रद्धालुओं और साधु-संतों को आने-जाने में बड़ी सुविधा मिलेगी और यातायात का दबाव भी कम होगा.

फोरलेन सड़क विकसित

रणजीत हनुमान क्षेत्र में पुल और चौड़ी सड़क का निर्माण भी प्रगति पर है. साथ ही रणजीत हनुमान से सिंहस्थ बाईपास तक गोंसा मार्ग होते हुए फोरलेन सड़क विकसित की जा रही है, जो सिंहस्थ क्षेत्र तक पहुंचने वाले मार्गों को और अधिक सुगम बनाएगी.

कर्मचारियों के लिए आवास

इसके अलावा सिंहस्थ की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के लिए आवासीय मॉडर्न का निर्माण भी किया जा रहा है. इन आवासों के बनने से आयोजन के दौरान व्यवस्थाओं में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों को भी बेहतर सुविधा मिल सकेगी.

सुविधाओं को मजबूत करेंगे

नवभारत से चर्चा में उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि सिंहस्थ की सभी निर्माणधीन सुविधाओं का लगातार अवलोकन किया जा रहा है और श्रद्धालुओं के लिए संतों के लिए स्थानीय रहवासियों के लिए सौगात अधिक से अधिक जुटाए जा रही हैं ताकि कुंभ में किसी को परेशानी ना हो. महाकाल की नगरी में हो रहे ये विकास कार्य केवल सिंहस्थ तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि भविष्य में उज्जैन आने वाले देश-विदेश के पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए भी सुविधाओं को मजबूत करेंगे. धार्मिक आस्था, परंपरा और आधुनिक विकास के इस संगम से उज्जैन आने वाले वर्षों में और अधिक सुव्यवस्थित एवं आकर्षक तीर्थनगरी के रूप में उभरने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

पहली बार ग्वालियर में होगा व्हीलचेयर अल्टीमेट टूर्नामेंट

टूर्नामेंट में भाग लेने

10 पुरुष 04 महिला टीमें ग्वालियर आई

ग्वालियर. अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण संस्थान में आज से उमोया स्पोर्ट्स द्वारा राष्ट्रीय व्हीलचेयर अल्टीमेट टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है. देश में उपरोक्त खेल का यह पहला राष्ट्रीय आयोजन है, जिसको लेकर विकलांग खिलाड़ियों में भारी उत्साह है.

इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए देश के अलग-अलग राज्यों से 10 पुरुष एवं चार महिला टीमों ग्वालियर आ चुकी हैं. टूर्नामेंट के मैच गुरुवार सुबह 8 बजे से आरंभ हो जाएंगे. ओपनिंग सेरेमनी सुबह 11 बजे होगी, जिसमें जनप्रतिनिधि एवं खेलों से जुड़ी हस्तियां मौजूद रहेंगी. उमोया फाउंडेशन के फाउंडर एवं टूर्नामेंट के कोर्डीनेटर आदित्य केवी ने बताया कि पुरुष वर्ग में दिल्ली, हरियाणा, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात के साथ भारत की टीम भाग लेगी.

दिल्ली चलो के नारे के साथ संसद घेराव की तैयारी

युवा कांग्रेस की बैठक

जबलपुर, 11 मार्च. भारतीय युवा कांग्रेस के आह्वान पर 16 मार्च 2026 (सोमवार) को केंद्र की भाजपा सरकार के कथित कुशासन के खिलाफ संसद घेराव किया जाएगा. इस कार्यक्रम में देशभर से युवा कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बड़ी संख्या में शामिल होंगे.

इसी क्रम में जबलपुर शहर युवा कांग्रेस द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें संसद घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर रणनीति तैयार की गई. बैठक में निर्णय लिया



गया कि जबलपुर से अधिक से अधिक संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचकर आंदोलन में भाग लेंगे और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे. बैठक में शहर युवक कांग्रेस के अध्यक्ष

सोनी कुकरेले ने कहा कि अन्याय और कुशासन के खिलाफ युवाओं को एकजुट होकर संघर्ष करना होगा. 'दिल्ली चलो, दिल्ली चलो' के संकल्प के साथ कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचकर संसद घेराव

ये रहे उपस्थित

बैठक में अभ्युक्त बाजपेयी, नितिन सिंह, समीर गढ़वाल, शिशांत सिंह ठाकुर, अंकुर गुप्ता, आदेश चौबे, आयुष पहाड़िया, मोशनी मंसूरी, रोहित रैकवार, आशु दुबे, शुभम अग्रवाल, राघव तिवारी, संजु अहिरवार, राहुल सोनी, विवेक रजक समेत अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान किया गया.

पुलिस की मौजूदगी में नगर निगम ने हटाया अतिक्रमण

रीवा, 11 मार्च. नगर निगम द्वारा वार्ड 14 एवं 15 संजु नगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नगर निगम की टीम द्वारा पुलिस बल एवं जिला राजस्व अमले के साथ की गई.

संजु नगर की मुख्य सड़क के दोनों तरफ स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था. अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान कई लोगों ने विरोध भी किया लेकिन समझाइश के बाद मान गए. कई पक्के निर्माण को तोड़ा गया जिनके द्वारा घरों का सज्जा बढ़ाया गया और जो सीमांकन के दौरान अतिक्रमण में



पाए गये. सीमांकन उपरान्त रास्तों के अगल-बगल किए गए वर्षों पुराने अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई. अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण करते हुए कच्चे-पक्के मकान, रैम्प आदि रोड पर बना लिए गए थे.

एक नजर में



छुहिया घाटी में बनेगी 6 लेन टनल, 5 करोड़ मंजूर

सीधी, 11 मार्च. सीधी-रीवा सीमा पर स्थित छुहिया घाटी में जल्द ही 6 लेन टनल का निर्माण किया जाएगा. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए राज्य सरकार ने डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार करने हेतु 5 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही टनल निर्माण की प्रक्रिया को गति मिल गई है. प्रस्तावित टनल की लंबाई करीब 14.50 किलोमीटर होगी. रीवा-सीधी-शहडोल मार्ग पर स्थित छुहिया घाटी में टनल बनने से वाहनों की आवाजाही काफी आसान हो जाएगी. वर्तमान में यहां तीखे और अंधे मोड़, संकरे सड़क और कठिन चढ़ाई के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं. टनल बनने के बाद इन जोखिमों से काफी हद तक राहत मिलेगी और यात्रियों को सुरक्षित व सुगम मार्ग मिलेगा. साथ ही सड़क की लंबाई कम होने से यात्रा में करीब 30 घंटे तक का समय बचने की संभावना है. टनल निर्माण के बाद रीवा-शहडोल मार्ग की दूरी लगभग 14 से 20 किलोमीटर तक कम हो सकती है, जबकि सीधी जिले की दूरी भी करीब 12 से 15 किलोमीटर तक घटने की उम्मीद है. इस मार्ग से प्रतिदिन हजारों वाहन रीवा, सतना, अनुपपुर, अमरकंटक और छत्तीसगढ़ की ओर आवागमन करते हैं, जिन्हें इस परियोजना से बड़ा लाभ मिलेगा. बताया जा रहा है कि यह परियोजना प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल की पहल से आगे बढ़ी है. लंबे समय से क्षेत्र के लोग इस टनल की मांग कर रहे थे. टनल बनने से न केवल आवागमन तेज और सुरक्षित होगा, बल्कि विंध्य क्षेत्र के विकास और कनेक्टिविटी को भी नई गति मिलेगी.

खेल पदों पर होने वाली नियुक्तियां अंतिम निर्णय के अधीन

जबलपुर, 11 मार्च. मप्र हाईकोर्ट ने एक अहम अंतरिम आदेश के तहत प्रदेश के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक शिक्षक खेल के पदों पर होने वाली नियुक्तियों को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया है. इस पर नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता को चुनौती देने के मामले में जस्टिस विशाल धगत की एकलपीठ ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, लोक शिक्षण संचालनालय, मप्र कर्मचारी चयन बोर्ड के चेरमेन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले पर अगली सुनवाई 15 अप्रैल को निर्धारित की गई है. मुर्देना निवासी सुरेन्द्र सिंह कुशवाह और मुरारी लाल शाक्य की ओर से अधिवक्ता आर्यन उरमलिया ने पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने माध्यमिक शिक्षक (खेल) भर्ती 2024 में भाग लिया. पात्रता और चयन परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उनका नाम मेरिट में आया. इसके बाद दस्तावेज परीक्षण में उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी गई. याचिकाकर्ताओं के पास डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन की योग्यता है. परीक्षण में यह कहा गया कि उक्त पद के लिए बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की योग्यता चाहिए. याचिका में दलील दी गई कि भर्ती अधिसूचना में बीपीएड और डीपीएड को समक्ष योग्यता का प्रावधान किया गया था.

एटीएम कार्ड बदलकर अधिवक्ता के खाते से उड़ाए 47 हजार

जबलपुर, 11 मार्च. कांचघर हनुमान टोरिया निवासी एक अधिवक्ता का जालराज ने एटीएम कार्ड बदलकर खाते से 47 हजार रूपए पार कर दिए. टीगी का पता उस वक्त चला जब अधिवक्ता का पुत्र एटीएम से पैसे निकालने के लिए गया. बेलबाग पुलिस ने रिपोर्ट पर अज्ञात के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर पतासाजी शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक मंगलवार दोपहर विजय कुमार चौधरी (47) निवासी कांचघर हनुमान टोरिया घमापूर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वे अधिवक्ता हैं. उसने अपने बेटे को अपना एटीएम कार्ड देकर कुछ पैसे निकालने के लिये कहा, उसका बेटा ऋषि चौधरी कांचघर स्थित एटीएम जाकर फोन से बताया कि पैसे नहीं निकल रहे हैं उसने कहा कि पिन गलत डाल दिया होगा, बेटे ने एटीएम कार्ड का ध्यान से देखा जिस पर रामअवतार यादव नाम लिखा था, उसने अपने एसबीआई बैंक खाता से स्टेट बैंक निकालकर देखा पता चला कि उसके एटीएम से 40 हजार रुपये गनद बेलबाग तिराहा के पास स्थित एसबीआई एटीएम एवं सुरनहाई ज्वेलर्स दुकान से एटीएम से पायल खरीदी गई एवं उसके एटीएम कार्ड से 7 हजार रुपये भेमेंट किया गया, सज्जी खरीदकर सज्जी वाले को अपने पर्स निकालकर पैसे दिये थे उसे शक है कि वही पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी कर पैसे निकालने के इरादे से उसके एसबीआई एटीएम को बदलकर रामअवतार यादव का एटीएम उसके पास रख दिया.

वन विभाग की टीम और ग्रामीणों के बीच विवाद

अतिक्रमण हटाने पहुंची जेसीबी के आगे लेंटी महिलाएं

गुना, 11 मार्च. जिले के बजरगाढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सोजना मोजा में बुधवार को उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जब वन विभाग की टीम भारी पुलिस बल और तीन-चार जेसीबी मशीनों के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंच गई.

कार्रवाई के दौरान वन विभाग के अमले और ग्रामीणों के बीच तीखी बहस और झूमा-झटकी हुई. कार्रवाई का विरोध करते हुए परिवार की महिलाएं मशीनों के आगे लेंट गई.

दरअसल, हिलगना बीट गुना दक्षिण वन परिक्षेत्र की करीब 100 से 150 बीघा जमीन पर कई परिवार काबिज हैं. ग्रामीणों का दावा है कि वे यहां वर्ष 1970 से पहले, यानी लगभग तीन-चार पीढ़ियों से रह रहे हैं और खेती कर रहे हैं. कुछ परिवारों ने जमीन का पट्टा होने का दावा भी किया है. ग्रामीणों का आरोप है कि मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है, इसके बावजूद विभाग जबरन बेदखल करने की कार्रवाई कर रहा है. वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मुख्य वन संरक्षक के आदेशानुसार इस जमीन पर प्लांटेशन कार्य स्वीकृत किया गया.

स्टेट बार की महिला प्रत्याशियों के लिए हों पृथक मतपत्र

जबलपुर, 11 मार्च. एमपी स्टेट बार चुनाव में महिला प्रत्याशियों के लिए पृथक मतपत्र की व्यवस्था की मांग फिर बुलंद की गई है. इसे लेकर पूर्व में मांग-पत्र भेज गया था. लेकिन दोस कार्रवाई नहीं हुई. इसीलिए स्मरण-पत्र भेजा गया है. भारत के प्रधान न्यायाधीश, बार काउंसिल आफ इंडिया, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और स्टेट बार के चेयरमैन व सचिव को भेजे गए स्मरण-पत्र में 30 प्रतिशत महिला आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायदृष्टांत का हवाला दिया गया है. साथ ही इस बात पर आपत्ति दर्ज कराई गई है कि चुनाव प्रक्रिया अंतर्गत अब तक एक ही मतपत्र का प्रविधान है, जो कि अनुचित है.

शिवराज, वीडी शर्मा व भूपेंद्र सिंह दोषमुक्त राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने वापस लिया मानहानि का केस

जबलपुर, 11 मार्च. एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट डीपी सूत्रकार ने राज्यसभा सदस्य विवेक कृष्ण तन्खा द्वारा मानहानि का केस वापस लिए जाने के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ खजुराहो सांसद बीडी शर्मा व भाजपा विधायक भूपेंद्र सिंह को भी दोषमुक्त कर दिया.



जनवरी 2025 को दायर किया गया था. 29 अप्रैल 2023 को परिवारों के कथन अंतिकृत किए गए थे. कोर्ट ने 20 जनवरी 2024 को शिवराज सहित अन्य के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करने का आदेश दिया था. फिल्ट्र इससे पहले को इस मामले में अंतिम फैसला सुनाया जाता, इससे पूर्व परिवारी तन्खा को उसी मानहानि का


10 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग का था मामला यह मामला 2021 में हुए मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों से जुड़ा था. उन दिनों विवेक तन्खा वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनावों में औबीसी आरक्षण से जुड़े एक केस में पेश हुए थे. तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे लेकर कुछ बयान दिए थे. तन्खा का कहना था कि इन बयानों से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा.

प्रकरण वापस लेने का आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.

मामला दर्ज बालिका सुधार गृह से पहले भी कई बार बालिकाएं भाग चुकी हैं

वार्डन से मारपीट कर 3 लड़कियां ताला खोलकर भागी

मुर्देना, 11 मार्च. बड़ोखर स्थित बालिका सुधार गृह से बीती रात में महिला वार्डन के साथ मारपीट कर उससे चाबी छीनकर तीन लड़कियां भाग गईं. इनमें एक बालिग है और दो नाबालिग हैं. इसी सुधार गृह से पहले भी कई बार बालिकाएं भाग चुकी हैं. स्टेशन रोड थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर भागी लड़कियों की तलाश शुरू कर दी है.



बड़ोखर' वार्ड क्रमांक 2 महाकाल वार्ड में रात के समय सुधार गृह की महिला वार्डन रामस्नेही सोलंकी अपने कक्ष में सो रही थीं. तभी तीन लड़कियों ने एक साथ वार्डन पर हमला कर

दिया, उसके साथ मारपीट की और चाबी छीनकर ताला खोलकर भाग गईं. स्टेशन रोड थाना पुलिस ने घटना के बाद मौके पर पहुंचकर जांच की और मामला दर्ज कर लड़कियों की

आवेदक को कोर्ट रीडर की गलती पड़ी भारी जमानत के बाद भी 12 दिन से अधिक समय जेल में रहा

जबलपुर, 11 मार्च. हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद ट्रायल कोर्ट के रीडर की गलती के कारण आरोपी को 12 दिनों से अधिक जेल में रहना पड़ा. रीडर ने जमानत के दस्तावेज स्पेशल जज के समक्ष प्रस्तुत नहीं करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को गलत बताते हुए उसमें सुधार के लिए वापस कर दिये. हाईकोर्ट जस्टिस ए के सिंह की एकलपीठ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अपने आदेश में कहा है कि रीडर की गलत सोच के कारण आवेदक को 12 दिनों से अधिक समय तक गलत तरीके से कस्टडी में रखा गया. रीडर द्वारा अपनाया गया तरीका सही नहीं था.



गौरतलब है कि जबलपुर के हनुमान ताल पुलिस में आरोपी जोशान खान के खिलाफ एससी एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था.

अदालत में प्रस्तुत किये गये थे. रीडर ने हाईकोर्ट के आदेश में एक धारा का उल्लेख नहीं किये जाने की त्रुटि निकालते हुए उसे स्पेशल जज के समक्ष प्रस्तुत नहीं करते हुए सुधार कार्य करवाने के लिए वापस कर दिये. जमानत आदेश में सुधार के लिए हाईकोर्ट में दायर की गयी थी. एकलपीठ ने सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा है कि जमानत दस्तावेज संबंधित विशेष न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत नहीं करते हुए रीडर ने हाईकोर्ट के आदेश पर कमी निकालते हुए उसे वापस कर दिया.

रीडर ने तो तरीका अपनाया वह सही नहीं है. ऑर्डर में कुछ कमी थी तो उनका फर्ज था कि वह कामजात स्पेशल जज के सामने प्रस्तुत करें. स्पेशल जज को कानूनी ऑर्डर पास करना चाहिए. किसी केस में जरूरी बातें केस नंबर होता है, जिसका जिक्र आदेश में था. इसके अलावा क्राइम नंबर और आरोपी के नाम का उल्लेख भी आदेश में था. आदेश आरोपी और उस केस की पहचान करने के लिए काफी था. एकलपीठ ने उक्त आदेश को पूर्व में पारित आदेश के साथ पढ़ने के निर्देश जारी किये हैं.

रीडर ने तो तरीका अपनाया वह सही नहीं है. ऑर्डर में कुछ कमी थी तो उनका फर्ज था कि वह कामजात स्पेशल जज के सामने प्रस्तुत करें. स्पेशल जज को कानूनी ऑर्डर पास करना चाहिए. किसी केस में जरूरी बातें केस नंबर होता है, जिसका जिक्र आदेश में था. इसके अलावा क्राइम नंबर और आरोपी के नाम का उल्लेख भी आदेश में था. आदेश आरोपी और उस केस की पहचान करने के लिए काफी था. एकलपीठ ने उक्त आदेश को पूर्व में पारित आदेश के साथ पढ़ने के निर्देश जारी किये हैं.

एयरपोर्ट पर 4.8 किलो हेरोइन जप्त

नीमच, 11 मार्च. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने मणिपुर के बीर टिकेंद्रजीत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर 4.8 किलोग्राम हेरोइन के साथ मध्य प्रदेश के नीमच निवासी दो युवकों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई 27 फरवरी को दोपहर नियमित तलाशी अभियान के दौरान की गई. दोनों आरोपी एयर इंडिया एक्सप्रेस की गुवाहाटी जाने वाली फ्लाइट आईएक्स-1038 में सवार होने की कोशिश कर रहे थे.



के निवासी बताए गए हैं. सीआईएसएफ कर्मियों ने संदेह के आधार पर तलाशी ली, जिसमें उनके पास से करीब 4.8 किलोग्राम हेरोइन पाउडर बरामद हुआ. इसके बाद दोनों को दोपहर करीब 3:42 बजे हिरासत में ले लिया गया. बरामदगी के बाद आरोपियों को जब्त मादक पदार्थ

केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कोटा (सीबीएन) कोटा की टीम ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए महु-नीमच रोड स्थित भाटखेड़ा चौहान के पास से 14 किलो 300 ग्राम अशुद्ध अफीम जप्त की है. बाइक सवार दो आरोपी अफीम को बैग में मूंगफली के नीचे छिपाकर ले जा रहे थे. खुफिया सूचना के आधार पर टीम ने साइध मोटरसाइकिल को रोककर तलाशी ली, जिसमें 10 पैकेटों में छिपाई गई अफीम बरामद हुई.

के साथ आगे की कार्रवाई के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एससीबी) को सौंप दिया गया.

फरार बदमाश अवैध पिस्टल के साथ दबोचा

जबलपुर. गोरखपुर पुलिस ने मारपीट के मामले में फरार चल रहे एक शांतिर बदमाश को लोड पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है. गोरखपुर थाना प्रभारी नितिन कमल ने बताया कि हनुमान मंदिर के आगे, ट्रांसफार्मर डिपो के पीछे रोड किनारे दबिश् देकर करन दाहिया (21) निवासी मांडवा टेण्डर-1, रामपुर को पकड़ा गया. तलाशी लेने पर उसकी कमर में एक पिस्टल मिली, जिसकी मैगजीन में एक कारतूस लोड था. पुलिस ने हथियार जब्त कर आरोपी के खिलाफ धारा 25, 27 आर्मास एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. पकड़ा गया आरोपी करन दाहिया शांतिर अपराधी है.



खुले में मांस एवं मछली के विक्रय पर दंड

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश के बावजूद खुले में मांस बिक्री

शहर में कई स्थानों पर धड़ल्ले से चल रहा विक्रय खुले में मांस बेचने पर सरकार ने लगाया है प्रतिबंध प्रशासन ने कार्रवाई के लिए संयुक्त टीम बनाने की कही बात

दरअसल, मध्यप्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 13 दिसंबर 2023 को आदेश जारी कर बिना लाइसेंस या नियमों का उल्लंघन करते हुए खुले में पशु मांस और मछली की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे.

म.प्र. नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 253, 254, 255 और म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 265 व 269 के तहत नगरीय क्षेत्रों में बिना अनुमति पशु मांस और मछली का विक्रय प्रतिबंधित किया गया है. इसके बावजूद सीधी में कई स्थानों पर नियमों के विरुद्ध मांस की बिक्री जारी है. शहर के सम्राट चौक से पड़ैनिया मार्ग तक ठेलों पर खुलेआम मांस बेचा जा रहा है.

इनका कहना है

सामाजिक विचारक विपिन कुमार सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा इस तरह के आदेश पहले भी कई बार जारी किए जा चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका पालन नहीं हो पा रहा है. उनका कहना है कि यदि प्रतिबंध प्रभावी है तो खुलेआम बिक्री क्यों हो रही है और यदि आदेश लागू है तो बार-बार इसकी घोषणा क्यों करनी पड़ रही है. वहीं एसडीएम गोदवरा नगरपालिका ने कहा कि सम्राट चौक और लालता चौक सहित प्रतिबंधित क्षेत्रों में मांस बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए जल्द ही नगर पालिका, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर अभियान चलाया जाएगा.